Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 21, 2025 (SRAVANA 30, 1947 SAKA)

(उसी संख्या एवं दिनांक का प्रतिस्थापन किया जाना है)

हरियाणा सरकार

खान तथा भू–विज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अगस्त, 2025

संख्या 02/02/2025-2IB-II.– खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 15 की उपधारा (1) और धारा 23 ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 98क में, उप–नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(14) अन्य राज्यों से हरियाणा राज्य में प्रवेश करने वाले लघु खनिजों से लदे वाहनों पर फीस प्रति मिट्रिक टन अस्सी रूपए प्रभारित की जाएगी।''।

3. उक्त नियमों में, प्रथम अनुसूची में,–

(I.) क्रम संख्या 1, तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"1	पत्थर, गोला पत्थर तथा बजरी	80";

(ii) क्रम संख्या 17 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

टी. एल. सत्यप्रकाश,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
खान तथा भू–विज्ञान विभाग।

(TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NUMBER AND DATE)

HARYANA GOVERNMENT

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 19th August, 2025

No. 02/02/2025-2IB-II.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 and section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking. Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules (Second Amendment) Rules, 2025.

2. In the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), in rule 98A, for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(14) The fee on vehicles loaded with minor minerals entering into the State of Haryana from the other States shall be charged eighty rupees per metric tonne.".

3. In the said rules, in First Schedule, -

(I) for serial number 1, and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely: -

"1	Stone and Boulder Gravel	80";

(II) serial number 17 and entries there against shall be omitted.

T. L. SATYAPRAKASH,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.

12052—C.S.—H.G.P., Pkl.